न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील संख्या:–90/2019 (जीसीएमएस नं. 2019/00053)

01. निरंजन पुत्र शिवदयाल जाति जागिड उम्र 69 वर्ष, निवासी चांदपोल गेट के बाहर, सीकर तहसील व जिला सीकर

––निगरानीकर्ता,

बनाम

01. नगर परिषद, सीकर जरिये आयुक्त, जिला सीकर राजस्थान।
2. मोतीलाल पुत्र स्व0 प्रहलाद राय शर्मा उम्र व्यस्क निवासी चांदपोल गेट बाहर, तहसील व जिला सीकर, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स प्रत्यर्थी,

निर्णय

दिनांक 08.02.2021

निगरानीगर्ता द्वारा यह निगरानी नगर पालिका सीकर द्वारा जारी पट्टा संख्या 2130 दिनांक 31.05.2013 के विरूद्ध पेश की गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि वार्ड नम्बर 16 चांदपोल गेट के बाहर, सीकर में सार्वजनिक चौक की जगह स्थित है, जो पूर्व में तांगा स्टेण्ड के काम आती थी एवं अब टैक्सी स्टेण्ड व पार्किंग के काम आ रही है तथा यह नगर परिषद सीकर के स्वामित्व की सम्पत्ति है जो कि सार्वजनिक है, उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 मोतीलाल द्वारा अतिक्रमण किया गया था जिस पर तत्कालीन नगर परिषद सीकर के आयुक्त ने उसे अतिक्रमी मानकर बेदखल किया था, उक्त बेदखली के कारण मोतीलाल ने उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश क0ख0 सीकर में एक वाद मुकदमा नम्बर 45/1998 उनवानी मातीलाल बनाम नगर परिषद पेश किया जो दिनांक 03.05.2003 को खारिज कर दिया गया, उक्त निर्णय के खिलाफ मोतीलाल द्वारा एक निगरानी संख्या 22/03 प्रस्तुत की गई जो निगरानी न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या–1 सीकर ने अपने निर्णय दिनांक 20.12.2003 के द्वारा मोती लाल को अतिक्रमी मानते हुऐ खारिज कर दी गयी एवं द्वितीय निगरानी संख्या 84/09 दिनांक 13.07.2012 को राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा खारिज कर दी गई लेकिन न्यायालय द्वारा उक्त भूमि को सार्वजनिक भूमि नगर परिषद की मान लेने व गोती लाल को अतिक्रमी मानने के बावजूद भी मोतीलाल ने नगर परिषद के आयुक्त व अन्य कर्मचारियों व अधिकारियो से साज–बाज कर भष्ट व अवैध तरीक से 15.55 वर्गगज भूमि का व्यवसायिक पट्टा सख्या 2130 दिनांक 31.05.213 को अपने नाम से बनावा लिया जिसमें निर्माण करने हेतु नगर परिषद सीकर में निमार्ण स्वीकृति के लिये मोतीलाल ने आवेदन किया जिसकी जानकारी निगरानीकर्ता को होने पर निगरानीकर्ता ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नगर परिषद सीकर के यहॉ अपनी

P.T.O.

आपत्ति प्रस्तुत की थी जिसमें नगर परिषद के अधिकारियों ने जानबुझकर यह गलत तथ्य प्रकट किया कि मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है जबकि उक्त पिटीशन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त जावब के पूर्व ही खारिज की जा चुकी थी उसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को दिनांक 03.06.2015 को निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई, उक्त पट्टा एवं निमार्ण स्वीकृति को निरस्त कराने हेतु निगरानीकर्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 23432/17 प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 27.08.2018 द्वारा निगरानीकर्ता को सम्बन्धित राजस्व न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने के आदेश जारी किये गये ।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने कथन किया है कि अधीनस्थ नगर परिषद ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर कतई गौर नही किया कि जिस भूमि के सम्बन्ध मे वार्ड नम्बर 16 चांदपोल गेट के बाहर सीकर में सार्वजनिक जगह स्थित है जो पूर्व मे तांगा स्टैण्ड के काम में आती थी, अब टैक्सी स्टेण्ड व पार्किंग के काम आ रही है तथा नगर परिषद सीकर के स्वामित्व की सम्पत्ति है, जो कि सार्वजनिक है तथा नियमानुसार उक्त सार्वजनिक स्थल का पट्टा जारी नही किया जा सकता इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को अनुचित लाभ पहूँचाने के लिये सार्वजनिक स्थल का पट्टा जारी करने में गंभीर त्रूटि कारित है।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की मिलीभगत इस तथ्य से भी जाहिर होती है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा पट्टा प्राप्ति के लिऐ विभिन्न न्यायालय यहॉ तक कि उच्च न्यायालय में भी याचिका प्रस्तुत की लेकिन न्यायालय ने उसे अतिक्रमी मानते हुये सभी प्रकरण खारिज कर दिये इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने सभी नियमों व कायदो को ताक में रखते हुए पट्टा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में जारी करने में गंभीर त्रृटि की है, जो पट्टा निरस्तनीय है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में जारी पट्टा क्रमांक 2130 दिनांक 31.05.2013 एवं निमार्ण स्वीकृति दिनांक 03.06.2015 को अपास्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने निगरानी के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को जारी पट्टा एवं निमार्ण स्वीकृति को विधि सम्मत बताते हुए निगरानी खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने निगरानी के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि निगरानीकार द्वारा न्यायालय श्रीमान् के उक्त निगरानी याचिका धारा 75 भू राजस्व अधिनियम में प्रस्तुत की गई है जो किसी भी सूरत में निगरानी याचिका न्यायालय के विचारणीय क्षेत्राधिकार में नही होने के कारण खारिज होने योग्य है। उन्होने यह भी कथन किया है कि निगरानीकार द्वारा न्यायालय श्रीमान् को गुमराह करने के उद्देश्य से अनुचित

लाभ प्राप्त करने के लिए तथ्य छिपाते हुए जानबुझकर धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत उक्त निगरानी याचिका प्रस्तुत की है, जो खारिज किये जाने योग्य है एवं प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दिनांक 31.05.2013 नगर परिषद सीकर द्वारा जारी व्यवसायिक पट्टे को आज दिनांक तक किसी भी सिविल न्यायालय में नल एण्ड वाईड घोषित कराने बाबत किस प्रकार का वाद प्रस्तुत नही किया गया है एवं ना ही निगरानीकार द्वारा नगर परिषद सीकर के आदेश दिनांक 03.06.015 को निमार्ण स्वीकृति के बाबत किसी प्रकार का कोई वाद या अपील राजस्थान म्यूनिसिपल अधिनियम 2009 के तहत निदेशक स्वायत्त शासन संस्थान (डी0एल0बी0) को प्रस्तुत की जबकि अप्रार्थी गैर निगरानीकार संख्या 2 को नगर परिषद सीकर के द्वारा 77,750/–रूपये जमा करवाकर शास्वत लीज व्यवसायिक भूखण्ड दिनांक 31.05.2013 को प्रार्थी गैर निगरानीकार संख्या 2 ने विधिवत विधि सम्मत पट्टा प्राप्त किया था, साथी ही प्रार्थी गैर निगरानीकार संख्या 2 ने नगर परिषद सीकर से दिनांक 03.06.2015 से उक्त व्यवसायिक भूखण्ड पर निमार्ण स्वीकृत प्राप्त कर एक दुकान का निमाण्र कराकर उसमें अपना कारोबार जुलाई 2015 से निरंतर संचालित करता आ रहा है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 जिस प्रकार लिखी गई है स्वीकार नही है, वास्तविक्ता तो यह है कि दिनांक 31.05.2013 को जारी व्यवसायिक पट्टे की जानकारी निगरानीकार को प्रारम्भ से ही थी जिसे कि निगरानीकार द्वारा 5 वर्ष 11 माह 22 दिन के पश्चात् उक्त निगरानी याचिका विधि विरूद्ध प्रस्तुत की जिसमें विलम्ब के दिन–प्रतिदिन का 5 वर्ष 11 माह 22 दिन तथा एक ही निगरानी याचिका में दिनांक 03.06.2016 की निमार्ण स्वीकृति के विरूद्ध 4 वर्ष 10 माह के विलम्ब के दिन–प्रतिदिन का कोई सन्तोषजनक कारण अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत नही किया है, साथ ही यदि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.08.2018 के आदेश से भी मियाद की गणना करें तो करीब 8 माह 7 दिन के दिन–प्रतिदिन के विलम्ब के सम्बन्ध में कही भी अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित नही किया गया है जबकि मियाद अधिनियम में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि मियाद का लाभ प्राप्त करने के लिए दिन–प्रतिदिन के लगातार विलम्ब के बाबत पृथक से युक्तियुक्त कारण अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख करना आवश्यक है, इस कारण भी प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज फरमाया जावें तथा निगरानी मियाद बाहर होने से निगरानी भी खरिज फरमायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील/निगरानी प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील/निगरानी प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर

विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ नगर परिषद सीकर की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है नगर परिषद सीकर ने फरवरी 1998 में वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट सख्या 2 द्वारा अतिक्रमण कर बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की स्वीकृति के पुख्ता दुकान का निर्णय कर लिये जाने पर सम्बन्धित हल्का निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट करने पर वादगस्त भू भाग पर रेस्पोडेन्ट सख्या 1 को बतौर अतिक्रमी माना मानते हुए दिनांक 10.02.1998 को विधिवत राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 203 के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड) सीकर एवं न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम सख्या 1 सीकर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नगर परिषद सीकर के पक्ष में निर्णय पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का सिविल नियमित अपील को सारहीन होने से खारिज किया गया है उसके उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नगर परिषद सीकर द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि का पट्टा अधीन निगरानी जारी किया गया है जो विधि सम्मत नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है तथा नगर परिषद सीकर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम जारी शाश्वत लीज क्रमांक 2130 दिनांक 31.05.2012 को निरस्त किया जाता हैं तथा रेस्पोडेन्ट सख्या 1 नगर परिषद सीकर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि से अतिक्रमण हटाने एवं भूमि को कब्जे राज लिये जाने की विधि सम्मत कार्यवाही अविलम्ब की जावें।

(डॉ0समित शर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।